बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सत्यमेव जयते

दिनांक 24/5/2010

पत्रांक : 22

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

+ + +

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

+ + +

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

+ + +

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बड़ियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

+ + +

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

+ + +

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,
अपर पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।

विषयः–**श्री अजय कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्त्ता, गया को भोजपुर पुलिस के द्वारा हत्या के मामले में फंसाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री अजय कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्त्ता, गया से प्राप्त आवेदन अनुलंग्नक के साथ भेजते हुए कहना है कि श्री अजय कुमार सिंह, अप्रील, 07 से फरवरी, 2010 तक अंचल पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर बड़हरा प्रखण्ड, जिला भोजपुर में पदस्थापित थें। उक्त प्रखण्ड के नाजिर मनोज कुमार सिंह के द्वारा लाखों रूपये का गबन किया गया था, जिसके कारण उनके विरूद्ध मई, 2009 मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

इसके बाद श्री अजय कुमार सिंह का स्थानान्तरण बांके बाजार में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर हो गया और सम्प्रति ये वरीय उपसमाहर्त्ता, गया के पद पर पदस्थापित हैं।

इस बीच श्री मनोज कुमार सिंह, नाजिर बड़हरा प्रखण्ड की हत्या किसी ने कर दिया। चूंकि ये स्वच्छ चारित्र के आदमी नहीं थें और बीमा का क्लेम भी उनके परिवार के द्वारा किया जाना है।

श्री अजय कुमार सिंह द्वारा मई, 09 में ही प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उन्हें इस हत्या में उनके द्वारा दायर प्राथमिकी कारण फसाऐ जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी से इस मामले की जाँच कराकर इस मामले का सही दिशा में अन्वेंषण का कार्य कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ह०
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष

ज्ञापांक 22 दिनांक 24/5/10

प्रतिलिपिः–श्री अजय कुमार सिंह, वरीय उपसमाहर्त्ता, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5
(ए० सी० मिश्र)
अध्यक्ष